

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थाईकरण/2017/ दिनांक:

-:आदेश:-

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका संख्या 311/2014 एवं अन्य तथा 5127/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 05.03.2014 एवं 09.05.2014 की पालना मे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त संशोधित परिणाम के अनुसार निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/फार्मा/एफ.40/संशो. परिणाम/2015/34 दिनांक 09.02.2015 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर आदेश संख्या 47 दिनांक 24.02.2015 के द्वारा दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से स्थाई करते हुए इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामो के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 7 में दर्शाई गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14(1) एफ.डी/(रूल्स) 2013-11 दिनांक 28.06.2013 की अनुपालना में उपलब्ध प्रावधानों के तहत फार्मासिस्ट के पद के पे.बैंड 9300-34800 में ग्रेड पे 3600 एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क. सं	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात् परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	GOPI RAM	5-Jul-90	Jodhpur	24.03.2015	23.03.2017	24.03.2017
2	ABHISHEK JAKAR	16-Jun-79	Dausa	04.03.2015	03.03.2017	04.03.2017
3	LAKH SINGH	25-Feb-74	Jaipur-I	27.02.2015	26.02.2017	27.02.2017
4	MAHESH KUMAR SHARMA	5-Sep-86	Kota	04.03.2015	03.03.2017	04.03.2017
5	GIRJA SHANKER YADAV	6-Jan-85	Kota	09.03.2015	08.03.2017	09.03.2017
6	PAWAN KUMAR RATHOR	1-Sep-87	Kota	04.03.2015	03.03.2017	04.03.2017
7	MOHD DANISH ANSARI	1-Jun-85	Kota	04.03.2015	03.03.2017	04.03.2017
8	NIRAJ KUMAR VYAS	1-May-86	Bhilwara	27.02.2015	26.02.2017	27.02.2017
9	SUSHILA KUMARI	22-Feb-78	sikar	12.03.2015	11.03.2017	12.03.2017
10	PRAKASH KUMAR SHARMA	3-Jul-80	Bhilwara	03.03.2015	02.03.2017	03.03.2017
11	MONIKA NIRMAL	13-Mar-86	Barmer	24.03.2015	23.03.2017	24.03.2017
12	LALIT KUMAR PARETA	8-Aug-85	Kota	04.03.2015	04.03.2017	05.03.2017
13	MAHAVEER PRASAD NAGAR	15-May-73	Kota	04.03.2015	03.03.2017	04.03.2017
14	JITENDRA MANGOLIA	12-Jul-80	Kota	04.03.2015	03.03.2017	04.03.2017
15	FIROJ TANWAR	17-Jun-88	Ajmer	27.02.2015	26.02.2017	27.02.2017
16	RAVI PANWAR	19-May-85	Jhunjhunu	02.03.2015	03.03.2017	02.03.2017
17	BHAGIRATH	10-Aug-83	Hanu-mangarh	07.03.2015	06.03.2017	07.03.2017
18	NAVNEET KUMAR SHARMA	7-Aug-81	Baran	11.03.2015	10.03.2017	11.03.2017
19	VIJAY KUMAR BOKOLIA	14-Nov-81	Sikar	27.02.2015	26.02.2017	27.02.2017
20	MUKESH KUMAR SAINI	15-May-81	Sikar	03.03.2015	02.03.2017	03.03.2017
21	SANJAY KUMAR	20-Oct-78	Jaisalmer	02.03.2015	01.03.2017	02.03.2017
22	DEEPAK	7-Nov-90	Pali	03.03.2015	02.03.2017	03.03.2017
23	MOHAMMAD IMRAN	13-Dec-87	Udaipur	11.03.2015	10.03.2017	11.03.2017
24	ALTAH HUSSAIN	6-Apr-76	Jaipur-II	04.03.2015	03.03.2017	04.03.2017
25	NARENDRA KUMAR ROLYA	21-Aug-88	Ajmer	02.03.2015	01.03.2017	02.03.2017

D:/Pharmacist Final/ Fixation Order

26	RAJESH VERMA	11-Mar-74	Ajmer	02.03.2015	01.03.2017	02.03.2017
27	VINOD KUMAR	6-Jul-84	Jhunjhunu	15.04.2015	14.04.2017	15.04.2017
28	SHOBHIKA ARORA	5-Dec-85	Jodhpur	04.03.2015	03.03.2017	04.03.2017
29	KULDEEP DADHICH	9-Dec-86	Jodhpur	23.03.2015	22.03.2017	23.03.2017

उक्त कार्मिकों का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा।

5d -

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक: 19.06.2017

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थाईकरण/2017/355

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
3. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/निजी पत्रावली।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर